राजस्थान राज्य

बनाम

श्रवण राम

1 मई, 2013

न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन् और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 32] – हत्या – बहु को आग में जलाना – एक से अधिक मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता – कथनों में विरोधाभास – कथनों का संदिग्ध पाया जाना – दोषसिद्धि संभव नहीं – यदि दो मृत्युकालिक कथनों में विरोधाभास है और साक्षियों के अभिसाक्ष्य में फर्क भी है तब ऐसे मृत्युकालिक कथनों के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 32 [सपठित राजस्थान पुलिस नियम, 1965 – नियम 6.22] – मृत्युकालिक कथन की अनुकूलता – कथन में अभियुक्त को नामित न किया जाना – यदि मृत्युकालिक कथन में अभियुक्त को अपराध कारित किए जाने के लिए नामित नहीं किया गया है तब ऐसी स्थिति में मृत्युकालिक कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता चाहे वह कथन राजस्थान पुलिस नियम के अनुसरण में क्यों न हो ।

इस मामले में, अभियुक्तों को अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था । न्यायाधीश के इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्तों ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया । उच्च न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर राजस्थान राज्य ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय इस पर विचार करेगा कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित प्रेम चंद (अभि. सा. 3) का कथन, जिसमें प्रदर्श पी-6 के रूप में चिन्हांकित किया गया है, मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या नहीं जिसमें उसने यह उल्लेख किया है कि मृतका चीख पुकार कर रही थी और

उसको आग में जलाने के लिए अपने श्वसुर को गालियां दे रही थीं । अभि. सा. 3 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है । इसके अतिरिक्त, पड़ोसी अर्थात् अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 ने मृतका को जलते हुए तथा शोर मचाते हुए देखा है, किन्तु उन्होंने मृत्यु का कारण प्रकट नहीं किया है और न ही अभियुक्तों के नामों का उल्लेख किया है । परिणामतः, प्रेम चंद द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि नहीं की गई है । यह सुज्ञात विधि है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन संपुष्टि न किए गए मृत्युकालिक कथन के रूप में दिए गए कथनों का अवलंब लेना उचित नहीं होगा । यद्यपि संपुष्टि अत्यावश्यक नहीं है किन्तु कथन की साक्ष्य संबंधी महत्ता को प्रबलित करने के लिए आवश्यक है । (पैरा 9)

इस मामले में न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित नियम पर विचार किया है कि इसका सारभूत रूप से अनुपालन किया गया है, न्यायालय के मतानुसार संपुष्टि के अभाव में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अवलंब नहीं लिया जा सकता है कि प्रदर्श पी-14क में मृतका ने अभियुक्तों को नामित नहीं किया है । मृतका ने यह कथन किया है कि वह उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकती जिसने उसे जलाया है । अतः, किसी भी संपुष्टि के अभाव में प्रदर्श पी-14क में किसी भी अभियुक्त को नामित न किए जाने पर, मृत्युकालिक कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता है चाहे राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.22 का अनुपालन क्यों न किया गया हो । न्यायालय ने दोनों मृत्युकालिक कथनों पर विचार किया है और दोनों मृत्युकालिक कथनों में न केवल महत्वपूर्ण विरोधाभास है अपितु साक्षियों के अभिसाक्ष्यों में फर्क भी है । सहायक पुलिस उप निरीक्षक को दिए गए मृत्युकालिक कथन में, जिस पर अभि. सा. 13 द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, किसी भी अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और मृतका ने यह कथन किया है कि वह उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकी थी जिसने उसको आग में जलाया, यद्यपि, यह मृत्युकालिक कथन राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.22 के अनुसरण में है । जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित प्रेम चंद (अभि. सा. 3) के कथन (जिसे प्रदर्श पी-6 के रूप में चिन्हांकित किया गया है) का संबंध है, मृतका केवल अपने श्वसुर को गालियां दे रही थीं और इस बात की संपुष्टि अभि. सा. 4 या अभि. सा. 5 द्वारा नहीं की गई है और स्वयं अभि. सा. 3 पक्षद्रोही हो गया है । न्यायालय के मतानुसार, दोनों मृत्युकालिक कथनों के बीच फर्कों और विरोधाभासों के कारण तथा अन्य किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के

आदेश को उलट कर न्यायोचित किया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । (पैरा 14, 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2012] (2012) 4 एस. सी. सी. 327 :
भज्जू उर्फ **करण सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 10

[2010] (2010) 2 एस. सी. सी. 85 =
ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 408 :
शारदा बनाम **राजस्थान राज्य** ; 20

[2009] (2009) 15 एस. सी. सी. 120 :
आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम **पी. ख्वाजा हुसैन** ; 19

[2008] (2008) 5 एस. सी. सी. 468 :
अनमोल सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 18

[2004] (2004) 9 एस. सी. सी. 713 =
ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1720 :
लैला श्रीनिवास राव बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; 17

[2001] (2001) 6 एस. सी. सी. 407 =
ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2124 :
अरविंद सिंह बनाम **बिहार राज्य** ; 9

[2000] (2000) 1 एस. सी. सी. 310 =
ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3062 :
किशन लाल बनाम **राजस्थान राज्य** ; 16

[1993] (1993) 1 एस. सी. सी. 1 =
ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 374 :
श्रीमती कमला बनाम **पंजाब राज्य** । 15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 427.

2001 की दांडिक अपील सं. 124 में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री मिलिंद कुमार

प्रत्यर्थियों की ओर से सुश्री प्रतिभा जैन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन् ने दिया ।

न्या. राधाकृष्णन् – यह अपील 2001 की दांडिक अपील सं. 124 में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध राजस्थान राज्य द्वारा की गई है । अपर सेशन न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया था और जुर्माने के साथ आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया था और सेशन न्यायाधीश का यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया और अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया ।

2. अभियोजन पक्षकथन निम्न प्रकार है :–

मृतका गुड्डी तारीख 11 सितम्बर, 1998 को 99 प्रतिशत जली हुई क्षतियों के साथ अस्पताल में भर्ती कराई गई । सहायक उप निरीक्षक राम किशन ने मृतका का पर्चा बयान (प्रदर्श पी-14क) अभिलिखित किया और उस पर थानाध्यक्ष मोहन लाल (अभि. सा. 13) ने अस्पताल में हस्ताक्षर किए । उक्त पर्चा बयान के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 300/98 पुलिस थाना मदनगंज, (अजमेर) में रजिस्ट्रीकृत की गई । उपचार के दौरान, लगभग 10.00 बजे पूर्वाह्न में उसी दिन गुड्डी की मृत्यु हो गई और मामला दंड संहिता की धारा 302 में परिवर्तित कर दिया गया । अन्वेषण के दौरान, दोनों अभियुक्तों को तारीख 12 सितम्बर, 1998 को गिरफ्तार किया गया जिनमें पहला अभियुक्त मृतका का श्वसुर है और दूसरा उसका पति है । अभियुक्तों ने उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया और मामले का विचारण किए जाने की कार्यवाही की गई । अभियोजन पक्ष की ओर से 14 साक्षियों की परीक्षा की गई । अपर सेशन न्यायाधीश ने मृत्युकालिक कथन का भरपूर अवलंब लिया जो प्रेम चंद (अभि. सा. 3) अर्थात् मृतका के पड़ोसी के समक्ष दिया गया बताया गया है जिसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन प्रेम चंद द्वारा पुलिस को दिए गए कथन (प्रदर्श पी-6) में भी किया गया है । अभि. सा. 3 ने यह अभिकथन किया है कि जलने पर मृतका ने चीख पुकार की थी और उसने अपने श्वसुर श्रवण राम को गालियां दी थीं । सेशन न्यायालय ने अभि. सा. 3 के साक्ष्य और उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दिए

गए कथन के आधार पर अभियुक्तों को दोषी पाया ।

3. अपर सेशन न्यायाधीश ने निम्न परिस्थितियों को महत्व दिया है :–

(i) श्रीमती गुड्डी आयु 19 वर्ष की मृत्यु उसके विवाह के दो वर्ष पश्चात् 99 प्रतिशत जली हुई क्षतियों के कारण हुई है जिस पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर माचिस से आग लगाई गई थी, अतः मृत्यु मानव वध है ।

(ii) मृतका अभियुक्त-अपीलार्थियों की अभिरक्षा में थी और मात्र इस कारण से अभिरक्षा समाप्त नहीं हो जाती है कि मृतका घर से बाहर आ गई थी और वहां घटना घटित हुई ।

(iii) मृतका का पिता नत्थू लाल (अभि. सा. 1), मृतका का चाचा कैलाश (अभि. सा. 2) और मृतका की माता श्रीमती सूरज देवी (अभि. सा. 13) ने अपने कथनों में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी मृतका को उसकी ससुराल जाने नहीं देते थे ।

(iv) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन प्रेम चंद (अभि. सा. 3) द्वारा दिए गए कथन को मृत्युकालिक कथन माना गया है न कि पर्चा बयान को । अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा मृतका के पर्चा बयान का अवलंब नहीं लिया गया है ।

(v) अभियुक्त-अपीलार्थियों का पूर्ववर्ती और पश्चात्वर्ती आचरण, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए उनके कथनों में संतोषजनक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 के अधीन अपेक्षित है ।

(vi) चूंकि मृत्यु अभियुक्तों की अभिरक्षा में हुई है, अतः अभियुक्त इस तथ्य को साबित करने के लिए जिम्मेदार है कि आग कैसे लगी जोकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन यथा अपेक्षित अभियुक्तों की जानकारी में विशिष्ट रूप से थी और इसके अतिरिक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध उपधारणा की जानी चाहिए ।

4. प्रत्यर्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अभिषेक गुप्ता ने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित प्रेम चंद (अभि. सा. 3) जैसे साक्षी के कथन के आधार पर दोषसिद्धि करना

उचित नहीं होगा जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था । इसके अतिरिक्त, यह भी दलील दी गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन में अभि. सा. 3 ने दूसरे अभियुक्त अर्थात् मृतका के पति पप्पू लाल को नामित नहीं किया गया है । यह भी दलील दी गई है कि श्रीमती छोटी (अभि. सा. 4) और नारायण (अभि. सा. 5), जो कि पड़ोसी हैं, ने मृत्यु का कारण प्रकट नहीं किया है और उन्होंने अपने साक्ष्य में किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं लिया है । अतः, प्रेम चंद के समक्ष दिए गए मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि नहीं हुई है और उच्च न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया है कि संपुष्टि न किए गए मृत्युकालिक कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता है । अतः विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

5. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री शोरण मिश्रा ने यह दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 3 के साक्ष्य और उसके द्वारा दंड प्रंकिया संहिता की धारा 161 के अधीन दिए गए कथन का अवलंब न लेकर त्रुटि की है जिसमें दूसरे अभियुक्त के नाम का उल्लेख किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य पर भी विचार करने में असफल रहा है कि मृतका प्रत्यर्थियों की अभिरक्षा में थी और इसीलिए जलाए जाने के तथ्य को स्पष्ट करने का भार अभियुक्तों पर है । इसके अतिरिक्त, वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सके हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने मृतका के पिता नाथू लाल (अभि. सा. 1), मृतका के चाचा कैलाश (अभि. सा. 2) और मृतका की माता सूरज देवी (अभि. सा. 14) के साक्ष्य का समुचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है । अभि. सा. 14 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि मृतका का श्वसुर यह कहा करता था कि गुड्डी उसकी पत्नी है और इस साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसकी पुत्री ने उसे यह बताया था कि यदि उपरोक्त तथ्य किसी को प्रकट किए गए तो मृतका को जलाकर मार दिया जाएगा । अतः विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 14 के साक्ष्य तथा अभि. सा. 3 द्वारा दिए गए कथन से प्रत्यर्थियों का दोषसिद्ध हो जाता है और विचारण न्यायालय ने उन्हें ठीक ही दोषसिद्ध किया है ।

6. हमारा यह विचार है कि इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और संपूर्ण मामला मृतका द्वारा दिए गए अभिकथित मृत्युकालिक

कथन और पारिस्थितिक साक्ष्य पर टिका हुआ है । डा. पी. सी. पटनी (अभि. सा. 11) ने शवपरीक्षण किया है और रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 प्रस्तुत की है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि मृतका को 99 प्रतिशत जली हुई क्षतियां पहुंची हैं । चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा शवपरीक्षण किया गया है और उनकी राय में मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व की जली हुई क्षतियों से होने वाला हाइपोवाल्यूमिक आघात है और मृत्यु घटना के 24 घंटों के भीतर हुई है और आत्महत्या किए जाने या दुर्घटनात्मक रूप से आग लगने का कोई भी साक्ष्य नहीं है, अतः यह मामला मानव वध का है ।

7. इस मामले में हम तीन मृत्युकालिक कथनों पर विचार कर रहे हैं जो निम्न प्रकार है :–

(i) सहायक उप निरीक्षक किशन ने मृतका का पर्चा बयान अभिलिखित किया है जिस पर चिकित्सक की मौजूदगी में मोहन लाल (अभि. सा. 13) द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और उस पर चिकित्सक के भी हस्ताक्षर हैं । इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों ने यह भी कथन किया है कि उन्होंने अपने अंगूठों की छाप भी लगाई है ।

(ii) यह कथन किया गया है कि मृत्युकालिक कथन तारीख 11 सितम्बर, 1998 को दिया गया है जिस पर उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं किन्तु न तो उक्त मृत्युकालिक कथन को प्रदर्शित किया गया है और न ही उपखंड मजिस्ट्रेट को साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

(iii) मृत्युकालिक कथन, प्रेम चंद (अभि. सा. 3) के समक्ष दिया गया है जिसके संबंध में प्रेम चंद ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने कथन में भी उल्लेख किया है ।

8. हमें अभिलेख पर केवल दो मृत्युकालिक कथन ही मिले हैं, ऊपर उल्लिखित मृत्युकालिक कथन न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है । मृतका का पर्चा बयान जिसके आधार पर मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया है, इस प्रकार है :–

"मैं मालियों की धानी मदनगंज में रहती हूं । मैं आज प्रातःकाल लगभग चार-पांच बजे अपने घर से शिव जी मंदिर के साथ सटे नाले के निकट शौच के लिए गई थी और मैं उस समय शौच कर रही थी जब मुझे एक व्यक्ति सफेद पैंट और कमीज पहने हुए आता दिखाई दिया । उसके हाथ में मिट्टी के तेल का डिब्बा था, उसने मेरे ऊपर

उलट दिया । उसने माचिस से मुझमें आग लगा दी । मेरे टेरिकॉट के वस्त्रों में तुरंत आग लग गई । मैं नाले में गिर गई और नाले से बाहर निकल कर जलती हुई घर पहुंची और परिवार के सदस्यों को संपूर्ण घटना बताई । मैं उस व्यक्ति को नहीं जानती । मैं जलती हुई नाले में गिरी थी और नाले से जलती हुई बाहर निकली तथा मैंने परिवार के सदस्यों को संपूर्ण घटना बताई जो मुझे अस्पताल लाए हैं, मेरा विवाह दो वर्ष पूर्व हुआ था ।"

यह बताया गया है कि मृतका द्वारा तीसरा मृत्युकालिक कथन प्रेम चंद (अभि. सा. 3) के समक्ष दिया गया है जिसे प्रदर्श पी-6 के भाग-ए से भाग-बी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और यह निम्न प्रकार है :–

"वह एक महिला थी जो घटनास्थल पर चिल्ला रही थी और वह अपने श्वसुर श्रवण राम को गालियां दे रही थी कि मुझमें आग लगाकर भाग गया ।"

9. अब हम इस पर विचार करेंगे कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित प्रेम चंद (अभि. सा. 3) का कथन, जिसमें प्रदर्श पी-6 के रूप में चिन्हांकित किया गया है, मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या नहीं जिसमें उसने यह उल्लेख किया है कि मृतका चीख पुकार कर रही थी और उसको आग में जलाने के लिए अपने श्वसुर को गालियां दे रही थीं । अभि. सा. 3 को पक्षद्रोही घोषित किया गया है । इसके अतिरिक्त, पड़ोसी अर्थात् अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 ने मृतका को जलते हुए तथा शोर मचाते हुए देखा है, किन्तु उन्होंने मृत्यु का कारण प्रकट नहीं किया है और न ही अभियुक्तों के नामों का उल्लेख किया है । परिणामतः, प्रेम चंद द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि नहीं की गई है । यह सुज्ञात विधि है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन संपुष्टि न किए गए मृत्युकालिक कथन के रूप में दिए गए कथनों का अवलंब लेना उचित नहीं होगा । यद्यपि संपुष्टि अत्यावश्यक नहीं है किन्तु कथन की साक्ष्य संबंधी महत्ता को प्रबलित करने के लिए आवश्यक है । **अरविंद सिंह** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने मौखिक मृत्युकालिक कथन के मामले में यह मत व्यक्त किया है :–

---

[1] (2001) 6 एस. सी. सी. 407 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2124.

मृत्युकालिक कथन पर कड़ी सावधानी और सतर्कता से विचार किया जाना चाहिए । संपुष्टि किया जाना आवश्यक नहीं है किन्तु यह व्यवहारिक है कि उसकी संपुष्टि की जाए ताकि कथन की साक्ष्य संबंधी महत्ता प्रबलित हो सके । स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं किन्तु ऐसे कथनों को विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के मामले में कड़ी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए ।

10. **भज्जू** उर्फ **करण सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता पर विचार करते हुए निम्न मत व्यक्त किया :–

"इस संबंध में विधि सुस्थापित है कि मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य है और इसकी ग्राह्यता आवश्यकता की सिद्धांत पर आधारित है । यदि मृत्युकालिक कथन विश्वसनीय पाया जाता है तब इसे दोषसिद्धि का आधार माना जा सकता है । न्यायालय को दोषसिद्धि के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संपुष्टि न किए गए मृत्युकालिक कथन के आधार पर कार्यवाही करने से अपवर्जित नहीं किया गया है । मृत्युकालिक कथन साक्ष्य के रूप में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई अन्य साक्ष्य । इस पर, इससे संबंधित सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए और साक्ष्य के सार के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए । यदि किसी मामले में कोई मृत्युकालिक कथन किसी त्रुटि से ग्रसित है या तो स्वयं में या मामले में प्रस्तुत अन्य साक्ष्य से प्रकट होने पर या न्यायालय के जानकारी में परिस्थितियों के आने पर, न्यायालय प्रज्ञा के नियम के रूप में संपुष्टि पर विचार कर सकता है और यदि साक्ष्य में ऐसी त्रुटि है जिससे मृत्युकालिक कथन इतना शिथिल हो जाए कि इस पर से न्यायालय का विश्वास उठ जाए, तब ऐसी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे दोषसिद्धि का आधार नहीं माना जा सकता है ।"

11. उपर्युक्त विधि सिद्धांतों और अभिलेख पर मौजूद तथ्यों पर विचार करने पर, हमारा यह मत है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन प्रेम चंद (अभि. सा. 3) द्वारा पुलिस को दिए गए कथन का कोई भी अवलंब, संपुष्टि न किए जाने पर, नहीं लिया जा सकता है । कुल

---

[1] (2012) 4 एस. सी. सी. 327.

मिलाकर स्वयं अभि. सा. 3 पक्षद्रोही हो गया है ।

12. अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या ऐसे मृत्युकालिक कथन के आधार पर, जिसे सहायक उपनिरीक्षक राम किशन द्वारा अभिलिखित किया गया बताया गया है और जिस पर थाने के भारसाधक अधिकारी मोहन लाल (अभि. सा. 13) तथा डा. अनिल कुमार सोनी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, पर्याप्त रूप से दोषसिद्धि की जा सकती है या नहीं ।

13. सर्वप्रथम हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पर्चा बयान (प्रदर्श पी-14क), जिसे मृत्युकालिक कथन माना गया है, राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.22 के अनुकूल है । राजस्थान पुलिस नियम, 1965 का नियम 6.22 निम्न प्रकार है :–

> "मृत्युकालिक कथन – (1) मृत्युकालिक कथन, यथासंभव, मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा ।
>
> (2) मृत्युकालिक कथन देने वाले व्यक्ति की, यदि संभव हो, चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि वह पर्याप्त रूप से सुस्पष्ट कथन देने की स्थिति में है ।
>
> (3) यदि कोई मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हो पाता है और कोई राजपत्रित पुलिस अधिकारी भी उपलब्ध न हो तब पुलिस विभाग और मामले के पक्षकारों से असम्बद्ध दो या अधिक विश्वसनीय साक्षियों की मौजूदगी में कथन अभिलिखित किया जाएगा ।
>
> (4) यदि आहत व्यक्ति को मृत्यु के जोखिम में डाले बिना कोई भी ऐसे साक्षी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तब उसका कथन अभिलिखित किया जा सकता है, यह कथन दो या अधिक पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अभिलिखित किया जा सकता है ।
>
> (5) पुलिस अधिकारी को दिया गया मृत्युकालिक कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 162 के अधीन कथन देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।"

14. इस मामले में हमने ऊपर उल्लिखित नियम पर विचार किया है कि इसका सारभूत रूप से अनुपालन किया गया है, हमारे मतानुसार संपुष्टि के अभाव में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अवलंब नहीं लिया जा सकता है कि प्रदर्श पी-14क में मृतका ने अभियुक्तों को नामित नहीं किया है । मृतका

ने यह कथन किया है कि वह उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकती जिसने उसे जलाया है । अतः, किसी भी संपुष्टि के अभाव में प्रदर्श पी 14-क में किसी भी अभियुक्त को नामित न किए जाने पर, मृत्युकालिक कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता है चाहे राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.22 का अनुपालन क्यों न किया गया हो ।

15. इस न्यायालय ने **श्रीमती कमला** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में एक से अधिक मृत्युकालिक कथनों के कार्यक्षेत्र पर विचार करते हुए निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

> "मृत्युकालिक कथन का समाधान सभी आवश्यक परीक्षणों से होना चाहिए और इनमें से एक परीक्षण यह है कि यदि एक से अधिक मृत्युकालिक कथन हों तब वे महत्वपूर्ण विशिष्टियों पर एक-दूसरे के साथ संगत होने चाहिए ।"

16. **किशन लाल** बनाम **राजस्थान राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया है :–

> "इन दोनों मृत्युकालिक कथनों पर विचार करने पर हमारा केवल यह निष्कर्ष नहीं है कि दो प्रतिरोधी कथन दिए गए हैं अपितु तारीख 6 नवम्बर, 1996 के अन्य मृत्युकालिक कथन के संबंध में दिए गए साक्षियों के अभिसाक्ष्यों में विरोधाभास भी है । अंततः, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए मृत्युकालिक कथन में जिस पर संभवतः अधिक अवलंब लिया जा सकता है, उसमें मृतक ने अभियुक्त को नामित नहीं किया है । इस प्रकार, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि इन दोनों मृत्युकालिक कथनों से अपीलार्थी का दोष साबित नहीं होता है । अतः उच्च न्यायालय ने इन कथनों का मूल्यांकन करने में त्रुटि की है ।

17. **लैला श्रीनिवास राव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय ने दो मृत्युकालिक कथनों की विधिकता और स्वीकार्यता पर विचार किया है । दो मृत्युकालिक कथनों के बीच असंगतता पर विचार करते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्तों को

---

[1] (1993) 1 एस. सी. सी. 1 = ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 374.

[2] (2000) 1 एस. सी. सी. 310 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3062.

[3] (2004) 9 एस. सी. सी. 713 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1720.

दोषसिद्ध करने के लिए मात्र उक्त कथनों का अवलंब लेना उचित नहीं होगा ।

18. **अनमोल सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने एक से अधिक दिए गए मृत्युकालिक कथनों के बीच असंगतताओं पर विचार करते हुए दंडादेश में हस्तक्षेप किया है । अभियोजन पक्षकथन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक से अधिक मृत्युकालिक कथनों की आवश्यकता नहीं होती अपितु कथन में विश्वसनीयता होनी चाहिए । यदि कोई मृत्युकालिक कथन स्वेच्छा से दिया गया है, विश्वसनीय है और ठीक मानसिक दशा में दिया गया है तब इस पर बिना किसी संपुष्टि के अवलंब लिया जा सकता है किन्तु कथन पूर्णतया संगत होना चाहिए । तथापि, यदि दो मृत्युकालिक कथनों के बीच कुछ असंगतताएं पाई जाती हैं तब न्यायालय को उन असंगतताओं की प्रकृति पर विचार करना होगा अर्थात् इस बात पर विचार करना होगा कि ऐसी असंगतताएं महत्वपूर्ण हैं या नहीं और ऐसी स्थिति में एक से अधिक मृत्युकालिक कथनों की अन्तर्वस्तु की संवीक्षा करते समय न्यायालय को अनेक संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार करना चाहिए ।

19. **आन्ध्र प्रदेश राज्य** बनाम **पी. ख्वाजा हुसैन**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरुद्ध फाइल की गई अपील खारिज कर दी और यह अभिनिर्धारित किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें दो मृत्युकालिक कथनों के बीच आया अंतर तुच्छ प्रकृति का हो ।

20. **शारदा** बनाम **राजस्थान राज्य**[3] वाले मामले में इस न्यायालय ने तीन मृत्युकालिक कथनों पर विचार किया है । मृत्युकालिक कथनों के बीच असंगतताओं पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने सेशन न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए दंडादेश को अपास्त कर दिया और निम्न अभिनिर्धारित किया :–

> "यद्यपि मृत्युकालिक कथन का विधि द्वारा अनुमोदन किया गया है जिसे अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि अभियुक्त को मृत्युकालिक कथन पर प्रतिपरीक्षा करने का कोई अवसर नहीं मिलता । शपथ की जिम्मेदारी के रूप में सच्चाई का

---

[1] (2008) 5 एस. सी. सी. 468.

[2] (2009) 15 एस. सी. सी. 120.

[3] (2010) 2 एस. सी. सी. 85 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 408.

पता लगाने के लिए प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार आवश्यक है । यही कारण है कि, सामान्यतया न्यायालय इस बात पर बल देता है कि मृत्युकालिक कथन ऐसा होना चाहिए जिस पर न्यायालय को उसकी शुद्धता को लेकर पूर्ण विश्वास हो जाए । न्यायालय को इस संबंध में सावधान रहना चाहिए कि मृतक ने यह कथन सिखाए-पढ़ाए जाने, उकसाने या कल्पना के आधार पर नहीं दिया है । न्यायालय का यह भी समाधान होना चाहिए कि मृतक की मानसिक दशा ठीक थी और मृतक को हमलावरों को पहचानने का स्पष्ट अवसर प्राप्त हुआ था । जब एक बार न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उपर्युक्त अपेक्षा पूरी हो गई है और यह भी समाधान हो जाता है कि दिया गया कथन सत्य और स्वेच्छापूर्ण है, तब निस्संदेह न्यायालय बिना किसी संपुष्टि के इस कथन के आधार पर दोषसिद्धि कर सकता है ।"

21. हमने दोनों मृत्युकालिक कथनों पर विचार किया है और दोनों मृत्युकालिक कथनों में न केवल महत्वपूर्ण विरोधाभास है अपितु साक्षियों के अभिसाक्ष्यों में फर्क भी है । सहायक पुलिस उपनिरीक्षक को दिए गए मृत्युकालिक कथन में, जिस पर अभि. सा. 13 द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, किसी भी अभियुक्त के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और मृतका ने यह कथन किया है कि वह उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकी थी जिसने उसको आग में जलाया, यद्यपि, यह मृत्युकालिक कथन राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.22 के अनुसरण में है ।

22. जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित प्रेम चंद (अभि. सा. 3) के कथन (जिसे प्रदर्श पी-6 के रूप में चिन्हांकित किया गया है) का संबंध है, मृतका केवल अपने श्वसुर को गालियां दे रही थी और इस बात की संपुष्टि अभि. सा. 4 या अभि. सा. 5 द्वारा नहीं की गई है और स्वयं अभि. सा. 3 पक्षद्रोही हो गया है । हमारे मतानुसार, दोनों मृत्युकालिक कथनों के बीच फर्कों और विरोधाभासों के कारण तथा अन्य किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश को उलट कर न्यायोचित किया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

———